तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
28/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप. वास्ते रिपोर्ट तहसीलदार बांदीकुई पत्रावली दिनांक 8/10/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
8/10/25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उप. वास्ते रिपोर्ट तहसीलदार बांदीकुई पत्रावली दिनांक 18/10/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
	18/10/25 पत्रावली पेश [illegible] कार्य व्यस्त [illegible]/P.O. [illegible] हो गई गत [illegible] दिनांक 13/11/25 आदेश की पालना में को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
13/11/2025	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उप. वास्ते रिपोर्ट तहसीलदार बांदीकुई पत्रावली दिनांक 28/11/2025 को पेश हो उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
28/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप. तहसीलदार बांदीकुई का पत्रांक 10185 दिनांक 21/11/2025 को द्वारा रिपोर्ट पेश किया गया। प्रकरण रिपोर्ट पटवारी हल्का मय तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रकरण [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] प्रार्थीगण के पिता का नाम छुट्टन के बजाय छोटेलाल शुद्ध किया जाता है। प्रकरण बाद तामील [illegible] अनुसार [illegible] दाखिल हो। विस्तृत निर्णय पृथक से [illegible] शामिल पत्रावली किया गया। [illegible] 28/11/25

प्र.सं. 67 / 2025
निर्णय दिनांक 28.11.2025

बनाम (उनवान)

1. [illegible] प्रसाद सैनी पुत्र छोटेलाल सैनी
2. गोपाल सैनी पुत्र छोटेलाल सैनी
3. [illegible] सैनी पुत्र छोटेलाल सैनी
4. [illegible] सैनी पुत्र छोटेलाल सैनी

समस्त जाति माली निवासी धाधोलाई तहसील बांदीकुई जिला दौसा,

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांदीकुई तहसी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अ

:-निर्णय-:

दि

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र राजस्थान का
दुरूस्ती का पेश किया गया जिसका संक्षिप्त
खाता संख्या नया 155 पुराना 149 खसरा नम्बरान 106,
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
160, 161, 162, 163, 164, 165 कुल किता 29 कुल र
नया 156 पुराना 151 खसरा नम्बरान 181, 182 कुल
एवं खाता संख्या नया 157 पुराना 150 खसरा नम्बर
148, 149, 150, 151, 152, 153, 188, 189, 190,
198, 199 कुल किता 24 कुल रकबा 3.53 हैक
धाधोलाई पटवार हल्का बडियाल कलां तहसील
वर्णित भूमि में प्रार्थीगण का प्रत्येक का हिस्सा
1/96–1/96 खाता संख्या नया 156 पुराना
संख्या नया 157 पुराना 150 में प्रार्थीगण का
रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज है। नकल जमाबन्दी
संलग्न है। प्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 04
का पैरा नम्बर 01 में प्रार्थीगण व प्रार्थीगण
छुट्टन जाति माली, गोपाल पुत्र छुट्टन जाति
पुत्र छुट्टन जाति माली राजस्व रिकॉर्ड जम
पिता का नाम सहवन से गलत दर्ज हो
बोलता नाम है जबकि प्रार्थीगण के पिता
दस्तावेजात आधार कार्ड, जनआधार
पिता का नाम छोटेलाल सैनी दर्ज है
है तथा प्रार्थीगण के पिता का छोटे
मुतदाविया वर्णित प्रार्थना पत्र का पै
पिता का घर का बोलता नाम दर्ज

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपजिला कलेक्टर एंव उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

मु0न0 87/2025

निर्णय दिनांक 28.11.2025

उनवान

1. गिर्राज प्रसाद सैनी पुत्र छोटेलाल सैनी
2. गोपाल सैनी पुत्र छोटेलाल सैनी
3. रतन लाल सैनी पुत्र छोटेलाल सैनी
4. रामफूल सैनी पुत्र छोटेलाल सैनी

समस्त जाति माली निवासी धांधोलाई तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते नाम दुरूस्ती

::-निर्णय-::

दिनांक 28.11.2025

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते नाम दुरूस्ती का पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:- खाता संख्या नया 155 पुराना 149 खसरा नम्बरान 106, 117, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 कुल किता 29 कुल रकबा 4.99 हैक्टेयर एंव खाता संख्या नया 156 पुराना 151 खसरा नम्बरान 181, 182 कुल किता 02 कुल रकबा 0.26 हैक्टेयर एंव खाता संख्या नया 157 पुराना 150 खसरा नम्बरान 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 कुल किता 24 कुल रकबा 3.53 हैक्टेयर उपरोक्त समस्त भूमि वाके राना धांधोलाई पटवार हल्का बडियाल कला तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थीगण का प्रत्येक का हिस्सा खाता संख्या नया 155 पुराना 149 में 1/96-1/96 खाता संख्या नया 156 पुराना 151 में 1/96-1/96 हिस्सा एंव खाता संख्या नया 157 पुराना 150 में प्रार्थीगण का प्रत्येक का हिस्सा 1/96-1/96 राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 प्रार्थना पत्र के साथ संलगन है। प्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 04 सगे भाई है भूमि मुतदाविया वर्णित प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 01 में प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता का नाम बतौर खातेदार गिर्राज पुत्र छुट्टन जाति माली, गोपाल पुत्र छुट्टन जाति माली, रतन पुत्र छुट्टन जाति माली व रामफूल पुत्र छुट्टन जाति माली राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज हो रहा है जो प्रार्थीगण व उनके पिता का नाम सहवन से गलत दर्ज हो रहा है प्रार्थीगण के पिता का नाम छुट्टन घर का बोलता नाम है जबकि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम छोटेलाल सैनी है प्रार्थीगण के सभी दस्तावेजात आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, ई श्रमकार्ड, राशनकार्ड, आदि में प्रार्थीगण के पिता का नाम छोटेलाल सैनी दर्ज है जो सही है। छुट्टन व छोटेलाल सैनी एक ही व्यक्ति है तथा प्रार्थीगण के पिता का छोटेलाल सैनी ही सही नाम है लेकिन सहवन से भूमि मुतदाविया वर्णित प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 01 में प्रार्थीगण का नाम छुट्टन प्रार्थीगण के पिता का घर का बोलता नाम दर्ज हो रहा है जो गलत इन्द्राज हो रहा है। उक्त गलत

a५६-

Scanned with OKEN Scanner

इन्द्राज के कारण भविष्य में प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के वारिसान को भूमि मुतदाविया का नामान्तकरण खुलवाने या किसी भी प्रकार की निजी या सरकारी सुविधा प्राप्त करने में कानूनी अडचन पैदा होगी इसलिये उसे दुरुस्त किया जाना न्यायोचित एंव लाजमी है। ऐसी सूरत मेंप्रार्थीगण न्यायालय से इस अमर की दुरूस्ती करवाने के विधिक अधिकारी है कि प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 01 में वर्णित भूमि मुतदाविया में प्रार्थीगण व उनके पिता के गलत नाम गिर्राज पुत्र छुट्टन, गोपाल पुत्र छुट्टन, रतन पुत्र छुट्टन व रामफूल पुत्र छुट्टन को दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीगण के सही नाम गिर्राज प्रसाद सैनी पुत्र छोटेलाल सैनी, गोपाल सैनी पुत्र छोटेलाल सैनी, रतन लाल सैनी पुत्र छोटेलाल सैनी, रामफूल सैनी पुत्र छोटेलाल सैनी राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की तलबी अप्रार्थी की जाकर तहसीलदार बांदीकुई से प्रकरण में रिपोर्ट तलब करने हेतु तहरीर जारी की गई प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई द्वारा उनके पत्रांक भू.अ./2025/10185 दिनांक 21.11.2025 को रिपोर्ट निम्न प्रकार पेश की गई ग्राम धांधोलाई की जमाबन्दी के खाता संख्या 155,156,157 में प्रार्थीगण के पिता का नाम गिर्राज, गोपाल,रतन, रामफुल पि. छुट्टन जाति माली दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड जनआधार कार्ड, श्रमिक कार्ड राशन कार्ड आदि में पिता का नाम छोटेलाल दर्ज है। ग्रामवासियो से प्रार्थीगण के पिता के नाम के बारे में जानकारी चाही गई तो ग्राम वासियो ने बताया कि छुट्टन व छोटेलाल एक ही व्यक्ति है। ग्राम धांधोलाई की जमाबन्दी के खाता संख्या 155,156,157 में प्रार्थीगण के पिता का नाम छुट्टन के बजाय छोटेलाल करने हेतु रिपोर्ट पेश है।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थीगण द्वारा पेश दस्तावेजात एवं तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के आधार कार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम छोटेलाल दर्ज तहसीलदार रिपोर्ट में प्रार्थीगण के पिता को छुट्टन व छोटेलाल एक ही व्यक्ति होना व्यक्त किया गया। प्रार्थीगण द्वारा पेश दस्तावेज एवं तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते नाम दुरूस्ती का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते नाम दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर ग्राम धांधोलाई के खाता संख्या नया 155 पुराना 149 खसरा नम्बरान 106, 117, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 कुल किता 29 कुल रकबा 4.99 हैक्टेयर एंव खाता संख्या नया 156 पुराना 151 खसरा नम्बरान 181, 182 कुल किता 02 कुल रकबा 0.26 हैक्टेयर एंव खाता संख्या नया 157 पुराना 150 खसरा नम्बरान 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 कुल किता 24 कुल रकबा 3.53 हैक्टेयर मे प्रार्थीगण के पिता का दर्ज नाम छुट्टन के बजाय छोटेलाल शुद्ध किया जाता है। तहसीलदार बांदीकुई नियमानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। तहरीर जारी हो प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 28.11.2025 को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया।

28/11/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

इन्द्राज के कारण भविष्य में प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के वारिसान को भूमि मुतदाविया का नामान्तकरण खुलवाने या किसी भी प्रकार की निजी या सरकारी सुविधा प्राप्त करने में कानूनी अडचन पैदा होगी इसलिये उसे दुरुस्त किया जाना न्यायोचित एंव लाजमी है। ऐसी सूरत मेंप्रार्थीगण न्यायालय से इस अमर की दुरूस्ती करवाने के विधिक अधिकारी है कि प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 01 में वर्णित भूमि मुतदाविया में प्रार्थीगण व उनके पिता के गलत नाम गिर्राज पुत्र छुट्टन, गोपाल पुत्र छुट्टन, रतन पुत्र छुट्टन व रामफूल पुत्र छुट्टन को दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीगण के सही नाम गिर्राज प्रसाद सैनी पुत्र छोटेलाल सैनी, गोपाल सैनी पुत्र छोटेलाल सैनी, रतन लाल सैनी पुत्र छोटेलाल सैनी, रामफूल सैनी पुत्र छोटेलाल सैनी राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की तलबी अप्रार्थी की जाकर तहसीलदार बांदीकुई से प्रकरण में रिपोर्ट तलब करने हेतु तहरीर जारी की गई प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई द्वारा उनके पत्रांक भू.अ./2025/10185 दिनांक 21.11.2025 को रिपोर्ट निम्न प्रकार पेश की गई ग्राम धांधोलाई की जमाबन्दी के खाता संख्या 155,156,157 में प्रार्थीगण के पिता का नाम गिर्राज, गोपाल,रतन, रामफुल पि. छुट्टन जाति माली दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड जनआधार कार्ड, श्रमिक कार्ड राशन कार्ड आदि में पिता का नाम छोटेलाल दर्ज है। ग्रामवासियो से प्रार्थीगण के पिता के नाम के बारे में जानकारी चाही गई तो ग्राम वासियो ने बताया कि छुट्टन व छोटेलाल एक ही व्यक्ति है। ग्राम धांधोलाई की जमाबन्दी के खाता संख्या 155,156,157 में प्रार्थीगण के पिता का नाम छुट्टन के बजाय छोटेलाल करने हेतु रिपोर्ट पेश है।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थीगण द्वारा पेश दस्तावेजात एवं तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के आधार कार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम छोटेलाल दर्ज तहसीलदार रिपोर्ट में प्रार्थीगण के पिता को छुट्टन व छोटेलाल एक ही व्यक्ति होना व्यक्त किया गया। प्रार्थीगण द्वारा पेश दस्तावेज एवं तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते नाम दुरूस्ती का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते नाम दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर ग्राम धांधोलाई के खाता संख्या नया 155 पुराना 149 खसरा नम्बरान 106, 117, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 कुल किता 29 कुल रकबा 4.99 हैक्टेयर एंव खाता संख्या नया 156 पुराना 151 खसरा नम्बरान 181, 182 कुल किता 02 कुल रकबा 0.26 हैक्टेयर एंव खाता संख्या नया 157 पुराना 150 खसरा नम्बरान 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 कुल किता 24 कुल रकबा 3.53 हैक्टेयर मे प्रार्थीगण के पिता का दर्ज नाम छुट्टन के बजाय छोटेलाल शुद्ध किया जाता है। तहसीलदार बांदीकुई नियमानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। तहरीर जारी हो प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 28.11.2025 को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया।

28/11/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner